

आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा प्रार्थी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में किये गये प्रतिकूल-प्रविष्टि के विलोपित (EXPUNCTION) करने हेतु प्रत्यावेदन:-

आदरणीय महोदय,

अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थी उपरोक्त विषय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन की अनुमति चाहता है।

1. यह कि दिनांक-05.08.2023 को आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा दी गयी वार्षिक प्रविष्टि ई-सर्विसेज पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। प्रार्थी अपना प्रत्यावेदन उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि को अपलोड होने के तीस दिन के अन्दर समर्पित कर रहा है।
2. यह कि तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा ने औरैया में जिला जज के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान प्रार्थी द्वारा बाह्य न्यायालय बिधूना, औरैया में अपर सिविल जज (जू0 डि0) तथा प्रभारी अधिकारी न्यायालय सुरक्षा के रूप में ईमानदारी तथा निष्पक्षता व विधि अनुसार कार्य किया गया।
3. यह कि स्तम्भ संख्या-1(h), 1(m), स्तम्भ संख्या 2 एवं 4 में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है।
4. यह कि उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में निम्न प्रविष्टि प्रतिकूल। आलोचनात्मक प्रतीत होती है।-

- 1.(h) Control Over the Office and Administrative capacity and tact :
(Annexure-1-A)

The officer does not have control over the official and also does not have the Administrative capacity.

- 1.(m) Whether amenable to the advice of the district judge and other superior officers : (Annexure-1-B)

The officer is not amenable to the advice of the district judge. He is in subordinate as well.

2. Overall assessment of the merit of the officer, (Out standing, very good, good, average, poor) : Average

4. Other remarks if any?

The officers is used to leave the outlying court and station without the prior permission of the district judge.

5. यह कि उक्त प्रतिकूल-प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रस्तुत वार विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

1.(h) Control Over the Office and Administrative capacity and tact:

The officer does not have control over the official and also does not have the Administrative capacity.

उपरोक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थी का विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

(i) यह कि उपरोक्त के संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किसी भी मासिक बैठक में कोई निर्देश नहीं दिया गया एवं न ही वार्षिक निरीक्षण 2022-23 में कोई टिप्पणी की गयी है।

(ii) यह कि उक्त प्रविष्टि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 21/2023 दिनांकित-17.01.2023 में दिये गये आधारों पर दी गयी है। उक्त अर्द्धशासकीय पत्र का प्रार्थी द्वारा दिनांक-27.01.2023 को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुतकार/रीडर श्री संजय कुमार एवं कार्यालय लिपिक श्री प्रशान्त शुक्ला से स्पष्टीकरण तलब किया गया तथा प्रश्नोत्तरी समय से तैयार न होने को लेकर क्षमा मांगी गई। तत्काल माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करा दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा स्वयं इसके सम्बन्ध में क्षमा मांगी गयी थी। (संलग्नक-1 प्रार्थी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण (मय स्पष्टीकरण रीडर श्री संजय कुमार एवं कार्यालय लिपिक श्री प्रशान्त शुक्ला)

(iii) यह कि प्रार्थी द्वारा हमेशा अपने कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रहा है।

(iv) यह कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्तम्भ-1(e) control over the files in the matter of :-

01 (e) (i) (a). Proper Fixation of cause list : Yes

- 01 (e) (i) (b). **Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court hours? : Yes**
- 01 (e) (ii). **Avoidance of unnecessary Adjournments : Yes**
- 01 (e) (iii). **Disposal of old cases: Yes**

वार्षिक वर्ष 2022-23 में प्रार्थी द्वारा कुल 1094 पुराने वादों का निस्तारण किया गया है। जिसमें से 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों की संख्या 730 तथा 10 वर्ष पुराने वादों की संख्या 364 है तथा प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022-23 एक्शन प्लान को पूर्ण किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त कार्य प्रार्थी की प्रशासनिक दक्षता एवं कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण को दर्शित करता है जिसको स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में सिद्ध किया है।

(v) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

स्तम्भ संख्या-1(m)

The Officer is not amenable to the advice of the District Judge. He is insubordinate as well?

उपरोक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रार्थी का विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

- (1) यह कि प्रार्थी सदैव माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्येक उचित एवं न्यायसंगत व विधिक सलाह का अनुपालन करता है।
- (2) यह कि उक्त के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 27/2022 दिनांकित-20.10.2022 निर्गत किया गया था।
- (3) यह कि उक्त अर्द्धशासकीय पत्र के अनुपालन में दिनांक-21.11.2022 को ससम्मान प्रार्थी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था जिसमें प्रार्थी द्वारा यह कहा गया था कि प्रार्थी द्वारा दिनांक-27.08.2022 को ई-सर्विसेज पोर्टल पर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति चाही गयी थी जिसे तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा अग्रसारित की गयी एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक-27.08.2022 को स्वीकृत किया गया था।

(4) यह कि प्रार्थी पूर्व प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी से, उनके निजी सचिव के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु मिलने गया था। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई तथ्य नहीं छिपाया गया था। दिनांक-27.08.2023 को सत्र खण्ड औरैया की प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी ठाकुर थीं न कि न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी थे।

(5) यह कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्रों का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ा गया था। (संलग्नक -2 प्रार्थी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण एवं माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र)

(6) माननीय महोदय द्वारा स्तम्भ-1(m) में अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4/2022 दिनांकित-21.04.2022 को संलग्न किया है।

(7) यह कि उक्त अर्द्धशासकीय पत्र के सन्दर्भ में प्रार्थी का ससम्मान कथन है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक-27.04.2022 को स्पष्टीकरण माननीय महोदय को प्रेषित किया गया। प्रार्थी दिनांक-19.04.2022 को न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि0), बिधूना औरैया के समस्त पत्रावलियों की सुनवाई, पेशी व प्रकीर्ण कार्य के निस्तारण करने के उपरान्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से आवश्यक कार्य हेतु माननीय महोदय के अर्दली श्री रामबदन से रीडर संजय कुमार द्वारा फोन पर अनुमति लेने के पश्चात मिलने निकला था, परन्तु माननीय महोदय व्यस्त होने के कारण मुलाकात न हो सकी। प्रार्थी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से क्षमा मांगी गयी तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति प्रार्थी द्वारा नहीं की जायेगी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रकीर्ण आदेश संख्या 107/2022 दिनांकित-28.07.2022 द्वारा प्रार्थी का स्पष्टीकरण निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक-21.11.2022 को उपरोक्त विषय के बाबत स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित किया गया जिसके निरस्तीकरण की कोई भी सूचना प्रार्थी को नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा पुनः माननीय जनपद न्यायाधीश से क्षमा मांगी गयी तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। तदोपरान्त प्रार्थी कभी भी बिना अनुमति के मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी सदैव माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पद, गरिमा व आदेशों का पालन करता है। (संलग्नक- 3 प्रार्थी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण)

(8) माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त स्तम्भ-1(m) में अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 25/2022 दिनांकित-19.10.2022 में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी दिनांक-12.10.2022 को बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चला गया था।

(9) उक्त कथन के बाबत प्रार्थी ससम्मान निवेदन करता है कि प्रार्थी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनांक-21.11.2022 को अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 25/2022 का ससम्मान स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया। प्रार्थी उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना चाहता है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक-12.10.2022 को ई-सर्विस पोर्टल पर दिनांक-13.10.2022 का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक-12.10.2022 को न्यायालय समय उपरान्त मुख्यालय छोड़ने की प्रत्याशा में आवेदन किया था। प्रार्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक-12.10.2022 को समय करीब 10 बजकर 30 मिनट पी0 एम 0 पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ा गया था। (संग्रहक-4 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय दिनांक-12.10.2023 का स्वीकृत आवेदन पत्र तथा प्रार्थी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण)

(10) यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के बाबत जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कोई भी निरस्तीकरण आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रार्थी द्वारा सदैव माननीय महोदय की प्रशासनिक अधीनस्थता को स्वीकार किया है तथा सदैव आदेशों का पालन किया है।

(11) यह कि प्रार्थी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किराय-भत्ता, पेट्रोल-भत्ता एवं अन्य भत्तों का समय से भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण प्रार्थी को आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है। प्रार्थी द्वारा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, निष्पक्षता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय-प्रविष्टि के स्तम्भ संख्या 01(a) में **INTEGRITY OF THE OFFICER BEYOND DOUBT** अंकित किया है।

(12) यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक-10.02.2023 को ई-सर्विस पोर्टल पर दिनांक-13.02.2023 का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक-11.02.2023 लोक अदालत सम्पन्न होने के न्यायालय समय उपरान्त अपने चचेरे भाई के तिलक समारोह में भाग लेने हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति की प्रत्याशा में आवेदन किया गया था, परन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण दर्शित किये हुए प्रार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया गया था। (संग्रहक-5 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन व माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा निरस्त आवेदन)

(13) यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक निरीक्षण सन् 2022-23 में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(14) यह कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की गयी है। स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय-प्रविष्टि के स्तम्भ 01(j) में - **BEHAVIOR IN RELATION TO BROTHER OFFICERS-CORDIAL** अंकित किया है जिससे यह दर्शित होता है कि प्रार्थी द्वारा सदैव वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया गया है।

(15) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

स्तम्भ संख्या-2 **OVER ALL ASSESSMENT OF THE MERIT OF THE OFFICER. (OUTSTANDING, VERY GOOD, GOOD, AVERAGE, POOR) : AVERAGE**

उपरोक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि :-

(1) यह कि उपरोक्त समस्त प्रतिकूल-प्रविष्टियों के विरुद्ध दिये गये उपरोक्त समस्त कारणों/तर्कों से स्पष्ट है कि प्रार्थी के योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण **(Overall assessment of the merit)** के बारे में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा अंकित किया गया, उक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि भी न्यायसंगत नहीं है।

(2) यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वयं उक्त वार्षिक गोपनीय-प्रविष्टि 2022-23 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि-

(i) प्रार्थी की सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है।

(Integrity of the officer : beyond doubt)

(ii) प्रार्थी का वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के सन्दर्भ में उचित एवं भेदभाव रहित कार्य किया है।

(iii) प्रार्थी का महिलाओं के प्रति व्यवहार (उनके प्रति प्रदर्शित सम्मान व संवेदनशीलता) अच्छा है। **(Good)**

(vi) प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण न्यायालय समय अवधि में व्यस्त रहने हेतु पर्याप्त वादों को नियत किया गया है।

- (v) प्रार्थी द्वारा अनावश्यक स्थगन का परिवर्धन किया गया है।
- (3) प्रार्थी द्वारा गम्भीरता से रुचि लेकर पर्याप्त संख्या में प्राचीन वादों का निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा 730 वाद पांच वर्ष पुराने तथा 364 वाद 10 वर्ष पुराने कुल 1094 वादों का निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2000 से पुराने 17 वादों का निस्तारण किया गया तथा 2000 से पूर्व के लंबित वादों की संख्या 00 कर दी गयी।
- (4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्र (एक्शन प्लान 2022-23 D.O. No. C-148/CF(B) 2022 Dated : Allahabad : March, 26, 2022 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा एक्शन प्लान को पूर्ण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुपालन में प्रार्थी सिविल के 30 वादों एवं आपराधिक 35 वादों का निस्तारण कर दिया गया। (संग्रहक-6 एक्शन प्लान 2022-23 के निस्तारित वादों की सूची)
- (5) यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र D.O. No. C-148/CF(B) 2022 Dated : Allahabad : March, 26, 2022 में जारी दिशा-निर्देशों के पृष्ठ संख्या 5 के पैरा 2 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "The disposal of action plan cases be taken into consideration at the time of recording of annual confidential report of the judicial officers. (संग्रहक-7 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्र)
- (6) प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेते हुए वार्षिक 2022-2023 में समस्त लोक अदालतों में प्रतिभाग किया गया तथा कुल 673 वादों का निस्तारण किया गया।
- (7) प्रार्थी द्वारा कुल 1 निष्पादन वाद का भी निस्तारण किया गया।
- (8) प्रार्थी द्वारा गुण-दोष के आधार पर 467 वादों का निस्तारण किया गया तथा समझौते के आधार पर कुल 14 वादों का निस्तारण किया गया।
- (9) प्रार्थी द्वारा पर्याप्त संख्या में वादों (11) में पर्याप्त आधारों पर अन्तरिम निषेधाज्ञा स्वीकार, अस्वीकार अथवा यथास्थिति बनाये रखा गया है।
- (10) प्रार्थी द्वारा तथ्यों एवं विधियों पर पूरी तरह से साधार (choice sound), संयुक्त-युक्त (well reasoned) तथा अच्छी व सरल भाषा में व्यक्त (Expressed in good language) निर्णय पारित किये गये हैं जिसकी पुष्टि स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा

- स्तम्भ 1(f)(i) Marshalling of facts, Proper,
- स्तम्भ 1(f)(ii) Appreciation of evidences, Proper,
- स्तम्भ 1(f)(iii) Appreciation of law, Proper, की गयी है।

(11) प्रार्थी का (2054.65 यूनिट) कार्य-निस्तारण पर्याप्त है तथा निर्धारित मानक 120 (प्रतिशत) से काफी अधिक (260.98 प्रतिशत) कार्य का निस्तारण (Disposal of work) है।

(12) प्रार्थी द्वारा न्यायालय तथा प्रभाराधीन कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया गया है।

(13) प्रार्थी न्यायालय अवधि में न्यायालय में नियमित बैठने (Sitting on dias) व समय की पाबन्दी के साथ समयबद्ध (Punctual) है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्तम्भ 01(i) में दी गयी प्रविष्टि से इसकी पुष्टि होती है जिसमें Punctual and Regular अंकित किया है।

(14) यह कि प्रार्थी ने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से (Honesty) लगन, कठिन परिश्रम, साहस, निष्पक्षता एवं पक्षपात रहित होकर किया है।

(15) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

स्तम्भ संख्या-4 उपरोक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि के सम्बन्ध में,

(1) यह कि प्रार्थी सदैव माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पद, गरिमा व प्रशासनिक अधीनस्थता को स्वीकार करता है। प्रार्थी द्वारा सदैव माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमति के पश्चात ही न्यायालय व स्टेशन छोड़ा गया है। प्रार्थी द्वारा बाह्य न्यायालय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि के सम्बन्ध में स्तम्भ-1(m) में अपना स्पष्टीकरण संलग्नक-3 किया है।

(2) यह कि उपरोक्त प्रतिकूल-प्रविष्टि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022-2023 में किये गये समस्त कार्य एवं उपरोक्त समस्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए विलोपित किये जाने योग्य है।

(3) प्रार्थी द्वारा अपने सम्पूर्ण न्यायिक कार्यकाल में परिश्रम, लगन, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, निर्भयता व साहस से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। निर्धारित मानक से अधिक कार्य-निस्तारण किया है। प्रार्थी अपने उच्च आदर्शों के कारण सदैव अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, अनुशासन, साहस व निर्भयता से करने हेतु प्रतिबद्ध है।

(4) यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त समस्त प्रतिकूल-प्रविष्टियां विलोपित (Expunged) किया जाना, योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण को अस्वीकृत किया जाना तथा न्यायिक अधिकारी द्वारा ईमानदारी, निष्पक्षता, निर्भयता व सत्यनिष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु न्यायोचित व समीचीन होगा।

प्रार्थना

अतः आदरणीय महोदय से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के वार्षिक गोपनीय-प्रविष्टि 2022-23 में अंकित किये गये उक्त समस्त प्रतिकूल-प्रविष्टियों को विलोपित (Expunged) करने, उसके स्थान पर उचित प्रविष्टियां अंकित करने तथा योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण को उच्चकृत करने एवं प्रार्थी द्वारा सत्यनिष्ठा, लगन, निष्पक्षता व निर्भयता से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु उक्त प्रतिकूल-प्रविष्टियों को विलोपित किया जाना न्यायोचित होगा। प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

जिसके लिए प्रार्थी सदैव करबद्ध आभारी रहेगा।

आपकी महानता होगी।

भवदीय

दिनांक-30.08.2023

(नेपाल सिंह)
अपर सिविल जज (क०श्रे०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या-17, इलाहाबाद।
(तत्कालीन अपर सिविल जज,
(जू० डि०), बिधूना, औरैया)
J.O. Code-3738